संख्या— /जी0एस0/शिक्षा/A3-44/2016

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक : ~~दिसम्बर,~~ 2016** 06 जनवरी 2017

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या—मान्यता/सम्बद्धता/2016/999 दिनांक 08.03.2016 एवं उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या—3(23)16 की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—37 (2) (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ—3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ—5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है :—

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	यूनिटी लॉ कॉलेज, काशीपुर रोड, रूद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर	बी0ए0— एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय)	180 सीट (60—60 सीट के 03 सैक्शन)	सत्र 2015—16, 2016—17 एवं 2017—18 हेतु
		एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय)	240 सीट (60—60 सीट के 04 सैक्शन)	

1. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र हेतु संस्थान का नियमानुसार निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा भौतिक निरीक्षण में पाई गई कमियों का पूर्णरूप से निराकरण कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक—शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियॉ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
4. छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा यू0जी0सी0/नियामक संस्थान/विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नही किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो

क्रमशः— 2 पर